



स्व का बोध बाबा साहेब भीम राव अंबेदकर के दृष्टि में

अविनाश कुमार

राजनीतिक विज्ञान विभाग

महात्मागाँधी महाविद्यालय, सुंदरपुर, दरभंगा

डा० भीमराव अम्बेदकर जिन्हें हम सब बाबा साहेब भीम राव अंबेदकर के नाम से पुकारते हैं जानते हैं। बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ। 'बाबा साहेब आधुनिक भारतीय राजनीति-विचारक थे। जिन्हें दलितों के मसीहा और 'भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हिन्दू समाज में अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतिक थे। उन्होंने हिन्दुओं में अछूत या अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को संगठित किया शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहेब के मन पर जिन विचारकों का प्रभाव परा उनमें महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले अमेरिकी दार्शनिक जॉन डुयूई का विशेष स्थान है।

बाबा साहेब के द्वारा लिखित चर्चित पुस्तक

Corresponding Author : अविनाश कुमार

E-mail : avinashkr.rss@gmail.com

में से एक (जाति-प्रथा का उन्मूलन) के अन्तर्गत हिन्दू वर्ण व्यवस्था के विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआ छूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला डाला। बाबा साहेब ने यह विचार रखा कि तथा कथित अछूत ही छूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा साहेब ने दलित वर्गों के आत्म-सुधार में विश्वास करते थे। अतः उन्होंने इन जातियों को मंदिरा-पान और मांस भक्षण जैसी आदतों को छोड़ने की सलाह दी क्योंकि ये आदतें स्थिति के साथ जुड़े हुए कलंक का मूल कारण था। उन्होंने इन्हें आपने बच्चे के शिक्षा-दिक्षा पर विशेष ध्यान देने और आत्म सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।

उन्होंने दलितों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा लेने के लिए प्रेरणा भी दी। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर

Date of Acceptance : 19.08.2023

Date of Publication : 30.11.2023

सवर्ण हिंदुओं और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया जिसमें मिलजुल कर पूजा करने और सम्मिलित प्रीतिभोज में भाग लेने पर बल दिया। महात्मा गांधी का विचार एवं बाबा साहेब के विचार नहीं मिलते थे खासकर दलितों के उत्थान को लेकर गांधी जी ने श्रम की गरिमा पर बल देने के लिए अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन (ईश्वर का भक्ति करने वाला) शब्द का प्रयोग सुझाया परंतु बाबा साहेब ने तर्क दिया कि टूटे-फूटे मकान की रंगई-पुताई करके उसकी दुर्दशा को छुपाया तो जा सकता है परंतु सुधारा नहीं जा सकता ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा।

जहां गांधी जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पंचायतीराज के समर्थक थे, वहीं अंबेदकर ने देश की एकता अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। बाबा साहेब के अनुसार भारत की जाति प्रथा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में वीर-पूजा भावना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।

बाबा साहेब के अनुसार भारत में लोकतंत्र की दुर्दशा का कारण यह नहीं था कि यहां के अधिकांश मतदाता निरक्षर थे। इसका मुख्य कारण यह था कि यहां का नेतृत्व करता मतदाताओं को पालतू पशुओं की तरह हांकने में विश्वास करता था। उसे विधि के

शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई अभिरुचि नहीं थी। बाबा साहेब इस बात से दुखी थे कि देश में समानता का नितांत अभाव है। बाबा साहेब यह मानते थे कि मनुष्य में केवल राजनीतिक समानता और कानून के समक्ष समानता करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता जब तक सामाजिक – आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाती, तब तक उनकी सामानता अधूरी रहेगी।

बाबा साहेब भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा में कहा था इस संविधान को अपना कर हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं इसे राजनीतिक जीवन में हमें समानता प्राप्त हो जाएगी परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता कायम रहेगी।

डॉ० आंबेडकर के अनुसार छुआछूत की जड़े हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित हैं अतः इसको प्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। डॉ० अंबेदकर ने यह मत रखा कि दलित जातियों का उद्धार तब होगा जब उनके अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निवारण की कानूनी व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके साथ राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथों में आ जाएगी।

हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उधार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अंबेदकर

ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों और केंद्र में मजबूत सरकार के क्षेत्र में अधिक जोर दिया। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। इस कारण डॉ० अंबेदकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा कि इसके बिना संविधान अर्थ हीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सरकारें इन दबावों से प्रभावित है इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया अर्थात् लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सकती है इसलिए जब तक भारतीय समाज जीवन में जाति की व्यवस्थाएँ मौजूद रहेगी वास्तविक

लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। अदूरदर्शिता के कारण गाँधी एवं कांग्रेसी नेताओं के विभाजनकारी निति के फलस्वरूप कश्मीर में धारा 370 लागू करवाया। जिस राष्ट्रीयता को केन्द्र में रखकर के 1857 के विद्रोह के पाश्चात भारत के लोगों में स्वयं की भावना का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। यह स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन तक आते-आते 1947 में विधिवत से देश आजाद हुआ। हमारे कुछ कुण्ठित सोच और विसंगतियों के कारण भारत का शीष मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर में 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 के कारण कश्मीर को आजाद नहीं करा पाये। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेदकर धारा 370 के विरोध में थे लेकिन शेख अब्दुला के सेकुलर प्रेम के कारण देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस विसंगतपूर्ण धारा को यथावत बनाये रखा। यद्यपि हम कह सकते हैं कि देश को आजादी 1947 में मिली लेकिन बटवारे के बाद शेख अब्दुला ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से दलित समाज के लोगों को झूठा स्वप्न दिखाकर कश्मीर



लाकर बसाया। धारा 370 के स्थायी होने कारण आजादी से लेकर 2019 तक उन दलित परिवारों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। जिसके कारण वे सामाजिक मुख्यधारा में पिछड़ते चले गये न उनका शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास न के बराबर हुआ। काश्मीर में जो सरकारें बनती रही उन्होंने उनके हितों को सामने में रखकर कोई योजना नहीं बनाई। जिसके फलस्वरूप उनके मन में हीन भावना सरकारों के प्रति बनती चली गयी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा जब कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की गई तब इन लोगों को लगा की हम स्वतंत्र भारत में सॉस ले रहे है और आजादी का मर्म इन दलित परिवारों ने पहली बार महसूस किया। वस्तुतः इतिहासकार "आर.सी.गुहा" के द्वारा कहीं बातों पर ध्यान जाता है कि डॉ० अंबेदकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक, आर्थिक, चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अंबेदकर की भावना को खोजने की जरूरत है। ताकि हम इन चुनौतियों से बाहर निकल सके।